

## राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद बहराइच का भ्रमण एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की स्थिति पर आख्या

जनपद – बहराइच

भ्रमण का दिन– 11 से 13 अगस्त 2015

टीम के सदस्यों का नाम—

1. डा० वेद प्रकाश, महाप्रबन्धक आर०आई०
2. डा० ए०पी०चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक आर०आई०
3. डा० आशुतोष अग्रवाल, स्टेट आर०आई०ओ०, डब्ल्य०एच०ओ०।
4. डा० विकास सिंघल, उपमहाप्रबन्धक आर०आई०
5. डा० आकाश मलिक, स्टेट मैनेजर, टी०एस०य००, दिल्ली।
6. श्री अजय सक्सेना, रोटेरियन, रोटरी इण्टरनेशनल।
7. डा० संतोष गुप्ता, ओ०एस०डी०, डब्ल्य०एच०ओ० / एन०पी०एस०पी०
8. डा० अभिजीत, सप्लाई कोल्डचेन, य०पी०टी०एस०य००
9. डा० राठौर, एस०एम०ओ० बहराइच।
10. श्री अनुराग श्रीवास्तव, क्षेत्रीय समन्वयक, एम०आई०
11. श्री आलोक कुमार, मण्डलीय समन्वयक, एम०आई०।
12. श्री ध्रुव सिंह, प्रोजेक्ट ऑफिसर, य०एन०डी०पी०।
13. सुश्री सबा कलीम, प्रोजेक्ट ऑफिसर, य०एन०डी०पी०।

नियमित टीकाकरण की दृष्टि से जनपद बहराइच सबसे कम उपलब्धि वाला जनपद है। पिछले दो वर्षों में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत निम्नानुसार है—

वर्ष 2013–14 में 42 प्रतिशत

वर्ष 2014–15 में 35 प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में 43 प्रतिशत

(माह जून तक)

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद की पी०एच०सी०/सी०एच०सी० का भ्रमण कर कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार हेतु नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गयी एवं कार्यक्रम में सुधार हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये।

उक्त अधिकारियों द्वारा तीन दल बनाकर जनपद के अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का का सघन भ्रमण किया गया तथा नियमित टीकाकरण सत्रों का अनुश्रवण किया गया। भ्रमण के दौरान निम्न बिन्दु प्रकाश में आए—

1. जनपद में पूर्णकालिक प्रभावी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। विगत कई वर्षों से उस पद पर निष्प्रभावी अधिकारी की नियुक्ति रहीं अथवा बार-बार परिवर्तन किया गया, जिसके कारण कार्यक्रम में सुधार नहीं हो सका। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के पास भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध नहीं है।
2. असंतोषजनक कार्य वाले अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण कार्यक्रम में सुधार नहीं हो रहा है।
3. जनपद बहराइच में 310 उपकेन्द्रों के सापेक्ष 365 ए०एन०एम० कार्य कर रही हैं। फिर भी 40 उपकेन्द्र रिक्त हैं, जिसके कारण टीकाकरण एवं अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
4. जनपद में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य रक्षा कार्ड पुराने पाये गये जिनमें जे०ई० तथा खसरा द्वितीय खुराक की कोई जानकारी मुद्रित नहीं थी।
5. ब्लाकों में बनाई गयी टीकाकरण कार्य योजना हेड काउंट के आधार पर नहीं पायी गयी। नियमित टीकाकरण सत्रों का नियोजन भी इंजेक्शन लोड के आधार पर नहीं किया गया है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में छोटे-छोटे अनेक मजरे होने पर प्रत्येक मजरे में सत्र आयोजित नहीं किये जा रहे हैं। तीन-चार मजरों के मध्य एक सत्र आयोजित किये जाने पर सभी लाभार्थियों का सत्र पर पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है।

6. नियमित टीकाकरण सत्रों पर लाभार्थी सूची का उपयोग नहीं किया जा रहा था एवं ना ही लाभार्थी सूची बनायी जा रही थी तथा ना ही उसे अधुनांत किया जा रहा है।
7. नियमित टीकाकरण सत्रों पर भ्रमण के दौरान अधिकतर सत्रों पर टैली शीट उपलब्ध नहीं थी। जिन सत्रों पर टैली शीट उपलब्ध नहीं थी उनमें गलत टीकाकरण सारणी पायी गयी। उदाहरणार्थ हेपेटाइटिस-बी टीका एक वर्ष बाद अंकित किया गया था।
8. बार-बार निर्देशित करने के बाद भी कम बच्चे होने पर वैक्सीन की वायल नहीं खोली जा रही है। जिससे पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है।
9. अधुनांत टीकाकरण सारणी जनपद में किसी भी ब्लाक स्तर पर प्रदर्शित नहीं की गई है। जबकि पूर्व में भी भ्रमण के समय टीकाकरण सारणी प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किय गया था।
10. रिक्त उपकेन्द्रों/छूटे हुए सत्रों हेतु कोई भी कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है।
11. अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी का प्रयोग जनपद में कहीं भी नहीं किया जा रहा है। सत्र की समाप्ति पर वैक्सीन कैरियर वापस नहीं आ रहे हैं। इस कारण वैक्सीन का छीजन अधिक होने की संभावना बनी रहती है।
12. एम०सी०टी०एस० पोर्टल को अधुनांत नहीं किया जा रहा है तथा एम०सी०टी०एस० पोर्टल द्वारा उत्पन्न कार्ययोजना का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
13. भ्रमण के दौरान किसी भी ब्लाक में ए०ई०एफ०आई० किट उपलब्ध नहीं है।
14. खुली वैक्सीन वायल पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही है। जो वैक्सीन क्षेत्र से वापस आ रही हैं, उनमें समय एवं दिनांक अंकित नहीं किया जा रहा है।
15. ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा एच०एम०आई०एस० पोर्टल के आधार पर नहीं की जा रही थी।
16. अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को हेपटाइटिस-बी की जन्म खुराक, बी०सी०जी एवं ओ०पी०वी० की जन्म खुराक नहीं दी जा रही है।
17. सी०एच०सी०/पी०एच०सी० में लेबर रूम में टीकाकरण हेतु वैक्सीन कैरियर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
18. ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन का जनपद में अभी तक चयन नहीं किया गया था।
19. ब्लाक विशेष्वसरगंज एवं चितौरा में कार्यक्रम में सर्वाधिक कमियां पाई गई।
20. वैक्सीन का रख-रखाव कई जगह त्रुटिपूर्ण पाया गया। सी०एच०सी० जरवल में नियमित टीकाकरण वैक्सीन के साथ आई०एल०आर० में एन्टी रैबीज वैक्सीन एवं एन्टी स्नेकबीनम रखे हुए पाए गए। यह नीति के विरुद्ध है एवं किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसी प्रकार विशेष्वसरगंज में वैक्सीन वायल ऐसे पालिथीन बैग में रखी हुई पायी गयी जिसमें खाद्य पदार्थ मौजूद थे। इस प्रकार की लापरवाही ए०ई०एफ०आई० का कारण बन सकती है। अन्य केन्द्रों पर भी वैक्सीन के साथ एन्टी रैबीज वैक्सीन रखी पायी गयी।
21. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुजूरपुर एवं तेजवापुर में मात्र एक चिकित्साधिकारी तैनात हैं। जिसके कारण समस्त कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं हैं।
22. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुजूरपुर में कोई भी प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित नहीं की गई है एवं यूनीसेफ द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रचार-प्रसार सामग्री बण्डल बनाकर रखी हुई थी। उन्हें लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
23. चितौरा ब्लाक में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में टी०ओ०पी०वी० के स्थान पर बी०ओ०पी०वी० के 1200 वायल(24000 खुराक) का प्रयोग किया गया। कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों के पालन में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।
24. सभी सत्रों में सभी वैक्सीन विशेषतया बी०सी०जी० नहीं उपलब्ध करायी जा रही है।

भ्रमण के पश्चात् जनपद स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रमण के दौरान पाए गए बिन्दुओं से अवगत कराया गया एवं तत्काल सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी बहराइच एवं मण्डलायुक्त महोदय देवीपाटन मण्डल से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपरोक्त सूचनाओं से अवगत कराया गया।

## राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद श्रावस्ती का भ्रमण एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की स्थिति पर आख्या

### जनपद – श्रावस्ती

टीम के सदस्यों का नाम—

भ्रमण का दिन— 11 से 13 अगस्त 2015

14. डा० वेद प्रकाश, महाप्रबन्धक आर०आई०
15. डा० ए०पी०चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक आर०आई०
16. डा० आशुतोष अग्रवाल, स्टेट आर०आई०ओ०, उल्ल्यू०एच०ओ०।
17. डा० विकास सिंघल, उपमहाप्रबन्धक आर०आई०
18. डा० आकाश मलिक, स्टेट मैनेजर, टी०एस०य००, दिल्ली।
19. श्री अजय सक्सेना, रोटेरियन, रोटरी इण्टरनेशनल।
20. डा० संतोष गुप्ता, ओ०एस०डी०, उल्ल्यू०एच०ओ० / एन०पी०एस०पी०
21. डा० शालिनी रमन, परामर्शदाता, आई०ई०सी०, यूनीसेफ।
22. डा० अभिजीत, इम्यूनाइजेशन एवं सप्लाईचेन, यू०पी०टी०एस०य००
23. श्री अनुराग श्रीवास्तव, क्षेत्रीय समन्वयक, एम०आई०
24. सुश्री सबा कलीम, प्रोजेक्ट ऑफिसर, यू०एन०डी०पी०।

नियमित टीकाकरण की दृष्टि से जनपद श्रावस्ती सबसे कम उपलब्धि वाला जनपद है। पिछले दो वर्ष से पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत निम्नानुसार है—

वर्ष 2013–14 में 54 प्रतिशत

वर्ष 2014–15 में 50 प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में 41 प्रतिशत

(माह जून तक)

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद की पी०एच०सी०/सी०एच०सी० का भ्रमण कर कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार हेतु नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गयी एवं कार्यक्रम में सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उक्त अधिकारियों द्वारा जनपद हेतु तीन दल बनाकर जनपद का सघन भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान निम्न बिन्दु प्रकाश में आए—

1. सभी सामुदायिक केन्द्रों पर कोल्डचेन उपकरण पर्याप्त संख्या में क्रियाशील हैं।
2. प्रचार-प्रसार सामग्री एवं टीकाकरण समय सारिणी को सही तरह से प्रदर्शित किया गया है।
3. जनपद में 125 उपकेन्द्रों के सापेक्ष 155 ए०एन०एम० कार्यरत हैं। फिर भी बहुत से उपकेन्द्र रिक्त हैं। जैसे जमुनहा में 9 फलस्वरूप बड़े क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य नहीं हो पा रहा है।
4. ब्लाकों में बनाई गयी टीकाकरण कार्य योजना हेड काउंट के आधार पर नहीं पायी गयी। नियमित टीकाकरण सत्रों का नियोजन भी इंजेक्शन लोड के आधार पर नहीं किया गया है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में छोटे-छोटे अनेक मजरे होने पर प्रत्येक मजरे में सत्र आयोजित नहीं किये जा रहे हैं। तीन-चार मजरों के मध्य एक सत्र आयोजित किये जाने पर सभी लाभार्थियों का सत्र पर पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है।
5. रिक्त उपकेन्द्रों/छूटे हुए सत्रों हेतु कोई भी कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है।

6. अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी का प्रयोग जनपद में कहीं भी नहीं किया जा रहा है।
7. एम०सी०टी०एस० पोर्टल को अधुनांत नहीं किया जा रहा है तथा एम०सी०टी०एस० पोर्टल द्वारा उत्पन्न कार्ययोजना का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
8. भ्रमण के दौरान किसी भी ब्लाक में ए०ई०एफ०आई० किट उपलब्ध नहीं है।
9. खुली वैक्सीन वायल पॉलिसी नहीं अपनाई जा रही है। जो वैक्सीन क्षेत्र से वापस आ रही हैं, उनमें समय एवं दिनांक अंकित नहीं किया जा रहा है।
10. बार—बार निर्देशित करने के बाद भी कम बच्चे होने पर वैक्सीन की वायल नहीं खोली जा रही है। जिससे पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है।
11. **टीका एक्सप्रेस-** यह सुविधा मात्र एक जनपद श्रावस्ती को उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु इसका उपयोग प्रचार—प्रसार के लिए नहीं किया जा रहा है। वाहनों पर प्रचार—प्रसार हेतु लगाये गए स्पीकर निकाले जा चुके हैं।
12. **जननी सुरक्षा योजना-** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना प्रसव के बाद कोई भी महिला एवं शिशु मात्र कुछ घंटों से अधिक अस्पताल में नहीं रुकते हैं। यह संभव भी नहीं है, क्योंकि महिला एवं पुरुष एक ही वार्ड में साथ—साथ भर्ती किए जा रहे हैं। कोई Partition की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए अलग संलग्न शौचालय भी नहीं है। वार्ड में पंखों आदि के लिए पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में प्रसव पश्चात् महिलाओं का यहां रुकना सम्भव नहीं है। अधीक्षक को तत्काल इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के निर्देश दिए गए।
13. नियमित टीकाकरण साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाने लगी हैं, परन्तु उनके कार्यवृत्त का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रभावी बैठकें नहीं हो रही हैं।
14. पर्यवेक्षण का कार्य संतोषजनक नहीं है। पर्यवेक्षण हेतु प्रभावी कार्ययोजना नहीं बनाई गई है।
15. अन्य पदों पर भी कर्मचारियों की नियुक्ति मानकों के अनुसार नहीं है।
16. भिनगा एवं भॅगहा में तापमान सारणी एवं विद्युत सप्लाई की रुकावट की सूचना सही प्रकार से अंकित नहीं की जा रही है।
17. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिनगा— जनपद मुख्यालय होते हुए भी अस्पताल में जन्मे बच्चों को हेपटाइटिस—बी की जन्म खुराक एवं बी०सी०जी० के टीके नहीं लगाए जा रहे हैं।

भ्रमण के पश्चात् जनपद स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर भ्रमण के दौरान पाए गए बिन्दुओं से अवगत कराया गया एवं तत्काल सुधार हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी श्रावस्ती एवं मण्डलायुक्त महोदय देवीपाटन मण्डल से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपरोक्त सूचनाओं से अवगत कराया गया।